बीटी/स्था./मीडिया/01/2018
भारत सरकार
बायोटेक्नोलॉजी विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

6वां– 8वां तल, ब्लॉक 2,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003.

दिनांक: अगस्त, 2019

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: - बायोटेक्नोलॉजी विभाग में युवा व्यावसायिकों (वाईपी) की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश।

बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) युवा व्यावसायिकों को विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों में काम करने के लिए विशिष्ट अवसर प्रदान करता है, जिसमें सार्वजनिक पहुंच और संचार, सार्वजनिक नीति, अनुसंधान तथा विकास की आयोजना और विकास, अनुसंधान प्रबंधन आदि शामिल हैं। यह इस क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहता है जिनमें विकास के प्रति गहरी निष्ठा हो और जो उनसे संबंधित क्षेत्रों में भावी नेतृत्व की क्षमता रखते हों। विभाग डीबीटी की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में अनुभव प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त, प्रेरित उम्मीदवार डीबीटी के उन क्षेत्रों में कार्य करेंगे जो सार्वजनिक पहुंच तथा संचार, सार्वजनिक नीति, अनुसंधान तथा विकास की आयोजना तथा विकास, अनुसंधान प्रबंधन, निगरानी तथा प्रभाव मूल्यांकन आदि से संबंधित हैं। यह कार्यक्रम उम्मीदवारों से प्रमाणिक शैक्षणिक अर्हताओं, व्यावसायिक उपलब्धियों तथा नेतृत्व के गुणों के प्रदर्शन की अपेक्षा करता है। कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार समय-समय पर सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किए विज्ञापनों के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।

<u>2. पात्रता</u>:

2.1 **अर्हताएं:**

अनिवार्य: उम्मीदवार अपने क्षेत्र/विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या तकनीकी योग्यता जैसे बी.टेक या एमबीए या समकक्ष योग्यता रखता हो।

वांछनीय: एमफिल या अतिरिक्त अर्हताएं, शोध अनुभव, प्रकाशित शोध पत्रों और संबंधित क्षेत्र में अर्हता उपरांत अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।

3. आयु सीमा: 35 वर्ष से अधिक नहीं

4. अन्य पात्रता शर्तें

4.1 पारिश्रमिक:

समस्त सम्मिलित पारिश्रमिक रु. 40,000/ - प्रति माह होगा। युवा व्यावसायी निर्धारित कार्यकाल बढ़ाए जाने की स्थिति में अपने पारिश्रमिक में 4,000/- रूपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

4.2 वेतन पर कर कटौती:

भुगतान करने से पहले मौजूदा नियमों के अनुसार आयकर या कोई अन्य कर वेतन से ही काट लिए जाएंगे, जिसके लिए विभाग टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

4.3 अन्य भत्ते:

उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने पर या इसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। कोई भी अन्य भत्ते या अनुलाभ जैसे आवास, आवासीय फोन, वाहन/परिवहन, विदेश यात्रा, वैयक्तिक स्टॉफ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि युवा व्यावसायी को देय नहीं होंगे।

5. अवकाश :

युवा व्यावसायी प्रो-राटा आधार पर एक कैलेंडर वर्ष में 8 दिनों की छुट्टी के हकदार होंगे। इसलिए, एक युवा व्यावसायी को एक कैलेंडर वर्ष के दौरान 8 दिनों से अधिक की उनकी अनुपस्थिति के मामले में किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक देय नहीं होंगे (प्रो-राटा आधार पर गणना)। इसके अलावा एक कैलेंडर वर्ष में निर्धारित अवकाश में से न लिए गए अवकाश के दिनों को आगामी कैलेंडर वर्ष में शामिल नहीं किया जाएगा।

6. गोपनीयता :

6.1. युवा व्यावसायी अपने कर्तव्यों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी विभाग से पूर्वानुमति लिए बिना अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर छद्म नाम से , कोई पुस्तक या लेखों के संकलन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं या किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं ले सकते हैं या ना किसी लेख में योगदान कर सकते हैं या किसी समाचार पत्र या आवधिकों में पत्र लिख सकते हैं।

6.2. बायोटेक्नोलॉजी विभाग में कार्य के दौरान, युवा व्यावसायी भारतीय कर्मचारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अध्यधीन होंगे और उनके द्वारा एकत्र की गई/उन्हें सौंपी गई किसी भी जानकारी को अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति से साझा नहीं करेंगे जो उसे जानने के लिए अधिकृत नहीं है। चयनित उम्मीदवार अपने परिचित 2 व्यक्तियों से सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। उम्मीदवार को एक वचनबंध प्रस्तुत करना होगा जिसमें उन्हें यह उल्लेख करना होगा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है या उनके विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

7. करार की समाप्ति:

विभाग निम्न परिस्थितियों में इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि :

i . युवा व्यावसायी सौपें गए कार्यों को करने में असमर्थ हैं।

ii. सौंपे गए कार्यों की गुणवत्ता से विभाग संतुष्ट नहीं है

iii. युवा व्यावसायी निर्धारित लक्ष्य को नियत समयावधि के दौरान प्राप्त करने में विफल रहते हैं जैसा कि अंततः उपयोगकर्ता डिवीजन द्वारा तय किया जाएगा।

iv. युवा व्यावसायी की ईमानदारी या सत्यनिष्ठा में कमी पाई जाती है या वह गोपनीयता खंड का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।

8. पूर्व सूचना की आवश्यकता:

युवा व्यावसायी अपनी सेवाएं 30 दिनों की अवधि का नोटिस देकर या उसके एवज में एक महीने का वेतन देकर समाप्त कर सकते हैं।

9. कार्य विवरण और उत्तरदायित्व:

बायोटेक्नोलॉजी विभाग युवा व्यावसायिकों से सार्वजनिक पहुंच और संचार, सार्वजनिक नीति, अनुसंधान और विकास की आयोजना और विकास, अनुसंधान प्रबंधन, निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन आदि जैसे विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट प्रदान करने की अपेक्षा करता है। यह कार्यक्रम उम्मीदवारों से प्रमाणिक शैक्षणिक अर्हताओं, व्यावसायिक उपलब्धियों तथा नेतृत्व के गुणों के प्रदर्शन की अपेक्षा करता है।

10. कार्य अनुभव:

कार्य से संगत न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। व्यापक कार्य अनुभव बायोटेक्नोलॉजी विभाग को सौंपे गए कार्यात्मक क्षेत्रों पर आधारित होगा। प्रासंगिक क्षेत्र में प्रकाशित शोध कार्य/नीति पत्र/मूल्यांकन/परियोजनाओं और योजनाओं की निगरानी आदि द्वारा समर्थित कार्य अनुभव वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।

11. अन्य गुण:

उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर पर प्रौद्योगिकी आधारित कौशल और आईसीटी अनुप्रयोगों पर काम करने की क्षमता का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उनके पास पर्याप्त संचार और अंत: पारस्परिक संपर्क बनाने की क्षमता भी होनी चाहिए।

12. नियमित परिवर्तन:

बायोटेक्नोलॉजी विभाग की आवश्यकताओं और उम्मीदवार की व्यक्तिगत प्रतिभा के आधार पर, युवा व्यावसायी को बायोटेक्नोलॉजी विभाग के भीतर अन्य डिवीजन में भी तैनात किया जा सकता है।

13. तैनाती का स्थान:

तैनाती दिल्ली में की जाएगी। तथापि, आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी कार्य करने हेतु कहा जा सकता है।

14. नियुक्ति की अवधि:

प्रारंभ में यह नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी जिसे निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक एक वर्ष के अंतराल से 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष पूरा होने से पहले कार्य छोड़ता है, तो उसे कार्य के संबंध में कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा।

15. निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड (पीएबी):

सचिव/संयुक्त सचिव/ वैज्ञानिक 'जी' स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड जिसमें बाहरी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे और यह बोर्ड दो वर्ष की समाप्ति पर कार्यकाल के तीसरे वर्ष या उससे आगे बढ़ाए जाने के लिए युवा व्यावसायी के कार्य और निष्पादन का मूल्यांकन करेगा। निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड युवा व्यावसायिकों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर अपनी प्रक्रिया तैयार करेगा।

16. क्षमता निर्माण:

भर्ती किए गए युवा व्यावसायी को कार्य से संबंधित कौशल के लिए 1-2 सप्ताह का मार्गदर्शन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

17. युवा व्यावसायी की संख्या:

बायोटेक्नोलॉजी विभाग में किसी भी स्थिति में युवा व्यावसायिकों की कुल संख्या 10 से अधिक नहीं होगी।

18. चयन की प्रक्रिया:

18.1 युवा व्यासायिकों को काम पर रखने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक डिवीजन को अपनी आवश्यकता स्थापना अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी। जिसमें प्रत्येक युवा व्यावसायी के लिए कार्य संदर्भ की शर्तें (अनुलग्नक- I) और कार्य क्षेत्र

के साथ-साथ अपेक्षित युवा व्यावसायिकों की संख्या के साथ-साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित युवा व्यावसायिकों की दैनिक कार्य के लिए आवश्यकता नहीं है। कार्य के क्षेत्र/सेवा शर्तों के दायरे में, प्रत्येक डिवीजन अनुलग्नक में निर्धारित प्रारूप में विशिष्ट कार्य/समयबद्धता सेवा कार्य के संदर्भ की शर्तों और अनुबंध में निष्पादन के लिए स्पष्ट रूप से इंगित करेगा। ये विवरण जीएफआर-2017, नियमावली की नीतियों और परामर्शदाताओं के रोजगार की प्रक्रिया -2006 और परामर्श और अन्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए नियमावली -2017 में शामिल प्रावधानों के दायरे में होने चाहिए।

18.2 प्रत्येक डिवीजन जो युवा व्यावसायिकों को संविदा पर लेने का इच्छुक हो ऐसी सूचना छमाही आधार पर अर्थात् प्रत्येक वर्ष मई/जून और दिसम्बर माह में सुथापना विभाग को प्रस्तुत करेगा।

18.3 सुथापना विभाग मौजूदा रिक्तियों के आधार पर आवेदन आमंत्रित करेगा और 30 दिनों के लिए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा। अंग्रेजी और हिंदी के प्रमुख समाचार पत्रों में भी एक लघु विज्ञापन जारी किया जाएगा जिसमें आवेदक को विभाग की वेबसाइट पर विवरण देखने की सलाह दी जाएगी।

18.4 इसके अतिरिक्त, रिक्ति परिपत्र की एक प्रति लोक प्रशासन/सार्वजनिक नीति/जन संचार और मीडिया/अर्थशास्त्र/वित्तीय अध्ययन संस्थान/प्रबंधन अध्ययन आदि का कार्य देखने वाले प्रतिष्ठित संस्थाओं को भेजा जाएगा।

18.5 उम्मीदवारों और विभाग के बीच संपर्क केवल ई-मेल से होगा। ई-मेल आईडी का उल्लेख न करने वाले आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

18.6 नियुक्ति-प्रस्ताव पर सहमति ई-मेल करने के 15 दिन के अंदर दी जाएगी।

18.7 कार्यभार ग्रहण करने के लिए नियुक्ति पत्र के ई-मेल प्रस्ताव की तारीख से अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा। हालाँकि, असाधारण मामलों में, संबंधित डिवीजन के परामर्श से संयुक्त सचिव (प्रशा.) 30 दिनों से अधिक की अवधि के विस्तार की अनुमति दे सकते हैं।

19. जांच एवं चयन समितियां:

19.1 विज्ञापित रिक्तियों के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी आवेदनों की जाँच विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तों और परामर्शी दिशानिर्देशों के आलोक में स्थापना अनुभाग द्वारा की जाएगी।

19.2 यह कार्य जांच समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) निदेशक/उप सचिव (स्थापना) - **अध्यक्ष**

ख) उप सचिव (नीति निर्माण तथा फ्रेमवर्क) - सदस्य

ग) दो वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक 'ई' के सुतर से कम न हो – **सदसुय**

घ) अवर सचिव (स्थापना) – **सदसुय सचिव**

19.3 इसके बाद, चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जिसमें निम्नानुसार चयन समिति होगी:

क) संयुक्त सचिव (प्रशासन/स्थापना) - **अध्यक्ष**

ख) वैज्ञानिक 'जी' के स्तर के दो वैज्ञानिक – **सदस्य**

ग) उप सचिव (पीजीआरसी) - **सदस्य**

घ) निदेशक/उप सचिव (स्थापना) - **सदस्य सचिव**

चयन समिति विभिन्न मामलो में 1-2 बाहरी विशेषज्ञों को शामिल कर सकती है।

19.4. चयन समिति प्रति रिक्ति के लिए 3 नामों (1 चयनित और 2 प्रतीक्षा सूची वाले व्यक्तियों) के एक पैनल की सिफारिश करेगी। सचिव (डीबीटी) चयन समिति की सिफारिश पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगी। सचिव (डीबीटी) द्वारा अनुमोदित पैनल अनुमोदन की तारीख से तीन कैलेंडर महीनों के लिए मान्य होगा। उदाहरणत: 10 जनवरी को सचिव (डीबीटी) द्वारा अनुमोदित पैनल 09 अप्रैल तक मान्य होगा। यदि चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण नहीं करता अथवा कार्यभार ग्रहण

करता है और पैनल की वैधता के दौरान छोड़ जाता है, तो प्रतीक्षासूची के पहले उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा। यदि प्रतीक्षासूची का पहला उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण नहीं करता अथवा कार्यभार ग्रहण करता है और पैनल की वैधता के दौरान छोड़ जाता है, तो प्रतीक्षासूची के दूसरे उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।

19.5 समितियों में कम से कम एक महिला प्रतिनिधि होगी।

20. वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट:

युवा व्यावसायिकों का वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन एक वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) के माध्यम से संलग्नक- II के अनुसार किया जाएगा। निष्पक्षता लाने के लिए, डिवीजन के रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और डिवीजन के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। डिवीजन प्रत्येक वर्ष की अवधि पूरी होने से एक महीने पहले डीबीटी स्थापना को पूर्ववर्ती मूल्यांकन वर्ष के लिए एपीआर अग्रेषित करेगा। समूह अध्यक्षों के साथ सीधे काम करने वाले युवा व्यासायिकों के मामले में मूल्यांकन समूह अध्यक्ष द्वारा स्थापना डिविजन को अग्रेषित किया जाएगा। तत्पश्चात, स्थापना अनुभाग द्वारा संबंधित युवा व्यावसायिकों को एपीआर अग्रेषित की जाएगी।

(चंद्र प्रकाश गोयल)
संयुक्त सचिव (प्रशा.)

प्रतिलिपि:

1. एसबीटी के पीपीएस/ एएस एण्ड एफए के पीपीएस/संयुकृत सचिव (प्रशा.) के पीपीएस
2. सभी वैज्ञानिक सलाहकार
3. नोटिस बोर्ड

संलग्नक -I

किए जाने वाले कार्य हेतु शर्तें।

(i) उद्देश्यों का सटीक विवरण

(विषय या डोमेन जहां युवा व्यावसायिकों की नियुक्ति की जानी अपेक्षित है इंगित किया जाना चाहिए)

(ii) किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा:

(किए जाने वाले विशिष्ट कार्य/गतिविधियां जो युवा व्यावसायिकों को सौंपी जानी अपेक्षित हैं का विवरण इंगित किया जाना चाहिए)

(iii) कार्य पूरा करने की अनुसूची:

(यह इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि कार्यों के साथ-साथ प्राप्तियां दोनों समय सीमा स्पष्ट रूप से पहचानी जांए और मूल्यांकन की अवधि में समय-समय पर निगरानी के लिए संशोधन योग्य हो)

(iv) युवा व्यावसायिकों की सुविधा हेतु डीबीटी द्वारा प्रदान किया जाने वाला समर्थन या इनपुट:

(वह अधिकारी जो युवा व्यावसायिकों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा और रिपोर्टिंग किसे की जानी है, यहाँ निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)

(v) अवधि के अंत में युवा व्यावसायिकों से अपेक्षित अंतिम आउटपुट को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

***

संलग्नक -II

युवा व्यावसायिकों की वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट

रिपोर्ट का वर्ष:

अवधि: .... से .... तक

भाग-I; मूल विवरण

नाम	
जन्म तिथि	
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	
पदनाम	
विषय डिवीजन	
रिपोर्टिंग प्राधिकारी (अधिकारी का नाम तथा पदनाम)	
कार्य करने की अवधि	
कार्य का संक्षिप्त विवरण:	

भाग- II: निष्पादन मूल्यांकन

कार्य का संक्षिप्त विवरण	प्राप्तियां	वास्तविक उपलब्धियां

III. कृपया महत्वपूर्ण योगदान, व्यक्तिगत उपलब्धियां, अन्य उपलब्धियों का उल्लेख करें , यदि कोई हों।

IV टिप्पणियां.

मूल्यांकन अधिकारी का नाम

पदनाम

विषय डिवीजन के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित